भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1007

दिनांक 10.02.2021/21, माघ,1942 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश को बाढ़ पुनर्वास पैकेज

1007. श्री टी.जी. वेंकटेश:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य में हाल में बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्रों को वित्तीय सहायता जारी करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश राज्य में हाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी राहत/पुनर्बहाली के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से 1236.66 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से दिनांक 11 नवम्बर, 2020 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर क्षति का आकलन करती हैं और उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) से वित्तीय राहत प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है।

रा.स.अता.प्र.सं.1007

केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) गठित कर दी थी, जिसने क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी की रिपोर्ट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार करने हेतु राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति और उच्च-स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के दौरान बाढ़ सहित अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आवश्यक राहत के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार को अग्रिम रूप से एसडीआरएमएफ के केंद्रीय अंश की दोनों किस्तें जारी कर दी हैं, जिनकी राशि 1119.00 करोड़ रु. है।

******